

भूमि संघर्ष पर वन अधिकार अधिनियम का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत में भूमि संबंधी संघर्षों को ट्रैक करने वाली डेटा अनुसंधान एजेंसी **लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच** ने भूमि संघर्ष और **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006** के प्रवर्तन के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध दर्ज किया गया है।

मुख्य बटु:

- वर्ष 2006 में अधिनियमि FRA वन में रहने वाले **जनजातीय समुदायों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों** के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता देता है, जिन पर ये समुदाय **आजीविका, निवास व अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं** सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिये निर्भर थे।
- लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच (LCW)** डेटाबेस में दर्ज 781 संघर्षों में से, 264 संघर्षों का एक उपसमूह **संसदीय नरिवाचन क्षेत्रों** से निकटता से संबद्ध है जहाँ वन अधिकार अधिनियम (FRA) एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
- पीपुल्स फॉरेस्ट रपॉर्ट (वजिज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा)** के आधार पर इन नरिवाचन क्षेत्रों को आमतौर पर **'FRA नरिवाचन क्षेत्रों'** के रूप में जाना जाता है।
- महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश में **कोर FRA नरिवाचन क्षेत्रों** की संख्या सबसे अधिक है।
- महत्वपूर्ण FRA नरिवाचन क्षेत्रों में सबसे अधिक वन अधिकार मुद्दों वाले राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर हैं।

FRA के कार्यान्वयन की स्थिति

- प्रदान की गई उपाधियाँ:** फरवरी 2024 तक, **जनजातियों और वनवासियों को लगभग 2.45 मिलियन उपाधियाँ** प्रदान की गई हैं।
 - हालाँकि, प्राप्त **पाँच मिलियन दावों में से लगभग 34% खारज़ि** कर दिये गए हैं।
- मान्यता दर:** विशाल संभावनाओं के बावजूद, वन अधिकारों की वास्तविक मान्यता सीमित रही है। 31 अगस्त 2021 तक, FRA लागू होने के बाद से वन अधिकारों के लिये **पात्र न्यूनतम संभावित वन क्षेत्रों में से केवल 14.75% को ही मान्यता दी गई है।**
- राज्य भिन्नताएँ:**
 - आंध्र प्रदेश:** अपने न्यूनतम संभावित वन दावे का 23% मान्यता प्राप्त है।
 - झारखंड:** अपने न्यूनतम संभावित वन क्षेत्र का केवल 5% ही मान्यता प्राप्त है।
 - अंतर-राज्य भिन्नताएँ:** राज्यों के भीतर भी मान्यता दरें भिन्न-भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिये, ओडिशा में, जबकि निबरंगपुर ज़िले ने 100% IFR मान्यता दर हासिल की, संबलपुर की दर 41.34% है।